उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1(अधि०)
लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-993/03/ई-4/2016-17, दिनांक 24.06.2019 द्वारा सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा-2013 के आधार पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की उपलब्ध करायी गयी संस्तुतियों के क्रम में शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3961/92-1-113 आरईएस/2007 टी0 सी0-1, दिनांक 23 अक्टूबर 2019 एवं अन्य दिनांकित कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के पद पर वेतन बैण्ड-15600-39100, ग्रेड पे-5400/- (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3, ग्रेड पे लेवल-10) में कतिपय शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की गयी।

2- प्रश्नगत सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा-2013 के परिणाम में संशोधन कर चयन में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ प्रदान के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-30826/2019 'अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये:-

> "An advertisement was issued by the Commission on 24.12.2013. The advertisement, as per the Government Order dated 09.01.2007, provided women reservation only to the domicile of State of U.P. and not to women of other States.
>
> The said Government Order was under challenge in Writ-A No.11039 of 2018; Vipin Kumar Maurya and Others Vs. State of U.P. and Others and connected matters. The said writ petition was allowed by judgment and order dated 16.01.2019 and clause-4 of the Government Order dated 09.01.2007, to the extent

it restricted benefit of reservation to the women, domicile of State of U.P. alone, was declared ultra vires to Article 16(2) & 16(3) of the Constitution of India. The result is declared in May, 2019. The select list is declared without taking into consideration the aforesaid judgment of this Court whereby the Government Order to the extent of reservation for women stands modified.

.....Respondents are directed to prepare the fresh select list with regard to selected women candidates as per directions contained in judgment and order dated 16.01.2019 passed by this Court.

3- मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-30826/2019 'अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 के अनुपालन हेतु मा0 न्यायालय में योजित अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-1469/2023 'अंजली शुक्ला बनाम डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के क्रियाशील अंश निम्नवत् हैं:-

"Issue noticed to respondents no.1 and 2 to show cause as to why the proceedings for contempt of the court be not initiated against them for non-compliance of the judgment and order dated 03.02.2023 passed in Writ-A No.30826 of 2019"

4- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के अनुपालन में कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा-2013 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से समन्वय स्थापित कर संस्तुतियां प्राप्त कर मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नवत् सूचना उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी:-

1. मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2023 एवं 04.09.2023 के अनुपालन में सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा-2013 के परिणाम में संशोधन कर चयन में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए श्रेष्ठता क्रमानुसार संशोधित मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी विचारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सिविल एवं कृषि शाखा के पूर्व परिणाम संशोधित करते हुए, जिसमें नवचयनित, पूर्व चयनित (अतिरिक्त) एवं विभाग परिवर्तन से सम्बन्धित संशोधन पर मा0 आयोग द्वारा अनुमोदनोपरान्त सूचियां संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी हैं और अवगत कराया गया है कि शेष परिणाम यथावत रहेगा।

आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया है कि याचिका संख्या-11039/2018 'विपिन कुमार मौर्या बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2019 के आलोक में यह अपेक्षित है कि रिक्तियों के सापेक्ष पूर्व चयन परिणाम के आधार पर अतिरिक्त ओने वाले अभ्यर्थियों व विभाग परिवर्तन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अधिसंख्य पदों के सापेक्ष समायोजित कर लिया जाय। उक्त संशोधित परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-(डी) 475/2019 तथा विशेष अपील संख्या-(डी) 278/2023 (नवीन एस0पी0एल0ए0 संख्या-311/2023) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

5- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा-2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) की 62 रिक्तियों के सापेक्ष चयनित/संस्तुत 62 सहायक अभियन्ता (सिविल) में से कुल 44 सहायक अभियन्ताओं द्वारा योगदान किया गया। 01 सहायक अभियन्ता (सिविल) श्री इक्षांशू सोनकर, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चयनित थे, योगदान के पश्चात त्यागपत्र देकर विभाग छोड़कर चले गये। साथ ही 18 सहायक अभियन्ता (सामान्य 04, अनु0जाति-07, अन्य पि0व0-07) द्वारा वांछित अभिलेख/अभ्यर्थन प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1546/92-1-2021-113 (आर0ई0एस0)/2007 टी0सी0-1, दिनांक 12.07.2021 द्वारा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया गया। इस प्रकार 62 रिक्तियों के सापेक्ष कार्यरत 43 सहायक अभियन्ताओं का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है:-

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
19	14	02	08	43

संशोधित परिणाम के फलस्वरूप चयनित/विभाग परिवर्तित/ अधिसंख्य अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अनुक्रमांक	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	श्री अजय कुमार	007647	अनुसूचित जाति	--
2	मोहित कुमार सिंह	008918	अनुसूचित जाति	--

ऐसे अभ्यर्थी जिनके विभाग परिवर्तित हुए हैं, का विवरण:-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	विभाग
01	018134	राकेश कुमार	पु0	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से लघु सिंचाई विभाग
02	016769	वैशाली राजभर	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
03	000946	अमृता शेखर	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
04	0034484	आस्था गोयल	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
05	008979	मनीषा तोमर	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
06	000865	अपराजिता सिंह	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
07	025165	अंजना शुक्ला	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
08	034089	स्वाति सोनकर	म0	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

अधिसंख्य अभ्यर्थी

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अनुक्रमांक	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	भानू प्रताप	022683	अन्य पिछड़ा वर्ग	--
2	पुनम यादव	020215	अन्य पिछड़ा वर्ग	योगदान
3	कुमारी रवि	007500	अन्य पिछड़ा वर्ग	योगदान

4	सरिता कुमारी	016252	अन्य पिछड़ा वर्ग	योगदान
5	वर्षा गर्ग	016189	सामान्य	योगदान
6	सोनल सिंह	032830	सामान्य	योगदान
7	किरन वर्मा	008720	अनुसूचित जाति	-
8	नेहा वर्मा	017977	अनुसूचित जाति	योगदान

नोटः- उक्त 08 अधिसंख्य पदों में से 02 अभ्यर्थियों (01 अनुसूचित जाति एवं 01 अन्य पिछड़ा वर्ग) द्वारा वांछित अभिलेख/ अभ्यर्थन उपलब्ध न कराने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप 1546/92-1-2021-113 (आर0ई0एस0)/2007 टी0सी0, दिनांक 12.072021 द्वारा अन्य के साथ उक्त 02 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/चयन तत्समय निरस्त किया जा चुका है।

6- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 (संशोधित परिणाम) के आधार पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पत्र संख्या- 111/03/ई-4/2016-17, दिनांक 30 नवम्बर 2023 एवं 128/03/ई-4/2016-17, दिनांक 11 जनवरी 2024 द्वारा क्रमशः श्री अजय कुमार एवं श्री मोहित कुमार सिंह के चयन की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	आवासीय पता
01	007647	अजय कुमार	ग्राम व पोस्ट-खन्दरावली, जिला-शामली, उत्तर प्रदेश, पिन-247775
02	008918	मोहित कुमार सिंह	2 बी/113, आवास विकास कालोनी सिकन्दरा, आगरा, 282007

मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत संशोधित परिणाम में अतिरिक्त हो गये अर्थात चयन से बाहर हो गये अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थियों जिनका विभाग परिवर्तित हुआ है, को अधिसंख्य पदों के सापेक्ष समायोजित करने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने बाद ही आयोग द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

7- प्रकरण की विशिष्टता के परिप्रेक्ष्य में मा0 आयोग द्वारा की गयी अपेक्षा के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः-

1. पूर्व परिणाम में चयनित श्री राकेश कुमार, सहायक अभियन्ता (अनुक्रमांक-018134) का संशोधित परिणाम में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से लघु सिंचाई विभाग में परिवर्तन हुआ है, को उनके अनुरोध पर विचार करते हुए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में ही रिक्

त पद के सापेक्ष समायोजित कर लिया जाय।

2. पूर्व परिणाम में चयनित एवं सम्प्रति ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यरत, परन्तु संशोधित परिणाम में अतिरिक्त अर्थात चयन से बाहर होने वाले निम्नवत् 06 अभ्यर्थियों को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजित कर लिया जाय:-

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अनुक्रमांक	श्रेणी
1	पुनम यादव	020215	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	कुमारी रवि	007500	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	सरिता कुमारी	016252	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	वर्षा गर्ग	016189	सामान्य
5	सोनल सिंह	032830	सामान्य
6	नेहा वर्मा	017977	अनुसूचित जाति

3. पूर्व चयन परिणाम में कुल **07 अभ्यर्थियों, जो तत्समय लोक सेवा आयोग की संस्तुति के क्रम में सम्प्रति सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं तथा जिन्हें संशोधित परिणाम में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आवंटित हुआ है, द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से कार्यमुक्त होने पर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किये जाने पर,** इन अभियन्ताओं को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष समायोजित कर लिया जाय।

4. उक्त बिन्दुओं पर लिये गये नीतिगत निर्णय के उपरान्त लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अपेक्षानुक्रम में नव चयनित/संस्तुत कुल **02 अभ्यर्थियों को तत्समय से रिक्त/** अधिमंख्य पदों के सापेक्ष नियुक्त किये जाने की अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय।

5. **संशोधित परिणाम के फलस्वरूप नियुक्ति/विभाग परिवर्तन/ समायोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट होने पर संशोधित अधियाचन ई-** अधियाचन पोर्टल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया जाय।

6. मा0 लोक सेवा आयोग की संशोधित संस्तुति के क्रम में उपरोक्त समस्त अभियन्ताओं की प्राम्थिति के दृष्टिगत उनकी पारम्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

7. उक्त पूरक/संशोधित परिणाम में नवीन चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां **मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-(डी)475/2019 तथा विशेष अपील संख्या-(डी)278/2023 (नवीन संख्या-311(2023)** में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

8- अतः प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में ग्रामीण अभियन्

त्रण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3961/92-1-113 आरईएस/2007 टी0 सी0-1, दिनांक 23 अक्टूबर 2019 एवं अन्य दिनांकित कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नियुक्त श्री राकेश कुमार, सहायक अभियन्ता (अनुक्रमांक- 018134), सुश्री पूनम यादव, सहायक अभियन्ता (अनुक्रमांक- 020215), सुश्री कुमारी रवि (अनुक्रमांक-007500), सुश्री सरिता कुमारी (अनुक्रमांक-016252), सुश्री वर्षा गर्ग (अनुक्रमांक-016189), सुश्री सोनल सिंह (अनुक्रमांक-032830), सुश्री नेहा वर्मा (अनुक्रमांक-017977) को एतद्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष इस शर्त के साथ समायोजित किया जाता है कि उक्त समायोजन मा० उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-(डी)475/2019 तथा विशेष अपील संख्या-(डी)278/2023 (नवीन संख्या-311(2023) एवं अन्य संगत वादों में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा तथा उनकी पारम्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार पृथक से निर्धारित की जायेगी।

Digitally Signed by आनन्द प्रकाश सिंह
Date: 12-02-2024 11:46:49
Reason: Approved

(आनन्द प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: तदैव, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-105/रिट/सैंतालिस/का-4-2023, दिनांक 31.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त लिए गए निर्णय का अनुपालन करने का कष्ट करें।
6. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग **द्वारा** निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण **द्वारा** निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,